

8/4/26

उपरोक्त अनुपस्थित। न्यायालय सभ्यों को कड़े आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर पत्र अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

+